न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2165–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–6–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 82/अपील/2007–08.

सुरेशचन्द्र आत्मज फूलचन्द अग्रवाल
निवासी नीचा बाजार वार्ड नं. 2 बानापुरा
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

1– सतीश कुमार आत्मज स्व. बाबूलाल अग्रवाल
2– सुनील कुमार आत्मज स्व. बाबूलाल अग्रवाल
3– सुधीर कुमार आत्मज स्व. बाबूलाल अग्रवाल
4– महेश कुमार आत्मज फूलचंद अग्रवाल
निवासी वार्ड नं. 2 नीचा बाजार बानापुर
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री वीरेन्द्र सोनी, अभिभाषक, आवेदक
श्री विनोद शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 7/11/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण तथ्य सक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा बरहानपुरा तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद स्थित भूमि सर्वे कमांक 66/20 रकबा 4500 वर्गफीट, सर्वे कमांक 66/21 रकबा 4100 वर्गफीट कुल रकबा 8600 वर्गफीट उभय पक्ष के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । उभय पक्ष द्वारा पूर्व में हुए बटवारे को प्रमाणित किये जाने सम्बन्धी आवेदन पत्र तहसीलदार, सिवनी मालवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 14–9–2006 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के

विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–4–2007 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 9–6–2016 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत केवल कृषि भूमि का ही बटवारा किया जा सकता है, आवासीय भूमि का नहीं, जबकि प्रश्नाधीन भूमि आवासीय है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में आवेदक सहित अन्य सहखातेदारों को न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा दिनांक 24–7–2006 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था, बाद में किसी किसी विधिक प्रकिया अपनाये प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया गया है, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिनांक 11–9–2012 को डिक्री पारित हुई है और डिक्री में स्पष्ट आदेश दिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर संहिता की धारा 178 लागू नहीं होती है ।

(5) प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को व्यवहार न्यायालय से स्वत्व का निराकरण कराने के निर्देश देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है । इस स्थिति पर बिना विचार किये अपीलीय न्यायालयों द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा दिनांक 12–1–1986 को निष्पादित व्यवस्था पत्र के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके आधार पर आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) व्यवहार न्यायालय में प्रचलित जिस व्यवहार वाद का हवाला आवेदक द्वारा दिया जा रहा है, वह रास्ते के सम्बन्ध में था, बटवारा प्रकरण के सम्बन्ध में नहीं है ।

(3) स्व. फूलचंद अग्रवाल के 8 पुत्रों के मध्य सम्पत्तियों को लेकर आपसी पंच फैसला के अनुसार बटवारा किया गया है, जिसका अक्षरशः पालन आवेदक को छोड़कर सभी पुत्र कर रहे हैं और उनके मध्य कोई विवाद नहीं है । केवल आवेदक परेशान करने के उद्देश्य से कार्यवाही करता रहा है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं बोलता हुआ आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह सही है कि तहसील न्यायालय में आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन को समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन दोनों अपीलीय न्यायालयों के समक्ष आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर दिया गया है और दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । तहसील न्यायालय द्वारा गुण–दोष पर आदेश पारित करने में क्या त्रुटि की गई है और आवेदक के स्वत्व किस प्रकार प्रभावित हुए है, उसे प्रश्नाधीन भूमि पर कितना हिस्सा मिलना चाहिए था, जो उसे नहीं मिला है । इस सम्बन्ध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में ऐसा कोई आधार नहीं उठाया गया है और न ही ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत किया गया है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–6–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर